भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
7वां तल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

परिपत्र

सं. आई.बी.बी.आई./सी.आई.आर.पी./83/2025 **17 मार्च, 2025**

सेवा में,

समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक,
समस्त मान्यताप्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक एजेंसी
(रजिस्ट्रीकृत ईमेल पतों पर मेल द्वारा और आई.बी.बी.आई. की वैबसाइट पर)

महोदय/महोदया

विषयः सूचना ज्ञापन (आई.एम.) में हानियों को अग्रनीत करने से संबंधित जानकारी का प्रकटन ।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(आई.बी.बी.आई.) ने, आयकर अधिनियम के अनुसार हानियों के अग्रनयन का सूचना ज्ञापन(आई.एम.) में प्रकटन आदिष्ट करने के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016(सी.आई.आर.पी. विनियम) के विनियम 36 को संशोधित किया था । इसके अलावा, दिवाला व्यावसायिकों(आई.पी.) को भी यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह भी दी गई थी कि अग्रनीत हानियों और उनके प्रकटन से संबंधित ब्यौरों को व्यापक रूप से अपने कब्जे में लिया जाए ।

2. बोर्ड ने, हाल ही के सूचना ज्ञापनों का पुनर्विलोकन करने पर यह पाया कि दिवाला व्यावसायिकों द्वारा हानियों को अग्रनीत करने का प्रकटन अधिक सुदृढ़ होना चाहिए । तदनुसार यह निदेश दिया जाता है कि समस्त दिवाला व्यावसायिक आई.एम. में एक ऐसा समर्पित अनुभाग शामिल करेंगे जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन हानियों को अग्रनीत करने के ब्यौरे स्पष्ट रूप से दिए गए हों । इस अनुभाग में निम्नलिखित पहलुओं को, जो कि इस पहलुओं तक सीमित नहीं हैं, प्रमुख रूप से स्पष्ट किया जाएगाः

क) कारपोरेट ऋणी को उपलब्ध अग्रनीत हानियों का परिमाण

ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार विनिर्दिष्ट शीर्षों के अधीन इन हानियों का विश्लेषण

ग) इन हानियों का उपभोग करने के लिए लागू समय सीमाएं और

घ) यदि कारपोरेट ऋणी के हानियों का कोई अग्रनयन उपलब्ध नहीं है तो सूचना ज्ञापन में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए ।

3. इस वर्धित प्रकटन ढांचे का आशय संभावित समाधान आवेदकों को कॉर्पोरेट ऋणी की वित्तीय स्थिति की अधिक व्यापक समझ प्रदान करना है, ताकि वे अग्रनीत हानियों के फायदों को ध्यान में रखते हुए अधिक सुविचारित और व्यवहार्य समाधान योजनाएं तैयार कर सकें ।

4. यह परिपत्र दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 196 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है ।

भवदीय

हस्ता.

जिथेश जॉन

कार्यकारी निदेशक